



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 1458]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/ JYAISTHA 20, 1938

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

का.आ. 2061(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का नाम स्टेनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2016 है।
(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से तीन माह के पश्चात लागू होगा।
2. **परिभाषाएं.**— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;
(ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है-
(i) जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो;
(ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबंधक;
(iii) राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग के निदेशक अथवा आयुक्त; और
(iv) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामित एक अधिकारी
(ग) "डीलर" से स्टेनलेस इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा ऐसे स्टेनलेस इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा अस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारोबार करता हो।

- (घ) स्टेनलेस इस्पात उत्पादों से संबंधित “आईटीसी (एचएस) कोड” से अभिप्राय इंडियन ट्रेड क्लासीफिकेशन (हारमोनाइज्ड) सिस्टम्स कोड से है जैसा कि अनुसूची के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है:
- (ङ) “विनिर्माता” से स्टेनलेस इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे स्टेनलेस इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी भी शामिल है, जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो द्वारा ऐसे स्टेनलेस इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।
- (च) “अनुसूची” से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है:
- (छ) “विनिर्दिष्ट मानक” से स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (2) में प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है:
- (ज) “राज्य सरकार” से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है :
- (झ) “स्टेनलेस इस्पात उत्पाद” से अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं जो कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों में शामिल हैं:
- (ञ) जो शब्द और पद यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जो अधिनियम में दिए हुए हैं।

3. **विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध.**— (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे स्टेनलेस इस्पात उत्पाद का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिन्ह लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारतीय ब्यूरो का मानक चिन्ह न लगा हो परंतु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे स्टेनलेस इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीददारों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य विनिर्देशन के अनुरूप हो।
(2) अवमानक अथवा दोषपूर्ण स्टेनलेस इस्पात उत्पादों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हों, को स्ट्रैप के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो की जांच एवं परीक्षण योजना के अनुसार निपटाया जाएगा।

4. **प्रमाणन के लिए बाध्यता.**— (1) स्टेनलेस इस्पात उत्पादों के सभी विनिर्माता मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और उसे बाद में भी बनाये रखने के लिए, यदि पहले प्राप्त न कर लिया हो, भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
(2) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
(3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा स्टेनलेस इस्पात उत्पादों के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है तो वह मानक चिह्न के प्रयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से विधिमान्य लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन प्रारंभ करेगा।

5. **सूचना आदि मंगाने की शक्ति.**— उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से:-

- (क) किसी स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण के

संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के नमूने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित या उसके कब्जे में अथवा नियंत्रण में बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों और अन्य स्टेनलेस इस्पात उत्पादों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।

6. **नमूनों का परीक्षण.**— मानक चिन्ह लगे और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु लिए गए किसी स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के नमूने का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसी रीति से परीक्षण किया जाएगा, जो संबंधित भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो।
7. **विनिर्माताओं और डीलरों को निर्देश जारी करने की शक्ति.**— उपयुक्त प्राधिकारी विनिर्माता, और डीलरों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा जो इस आदेश के अनुरूप हों और इस आदेश के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों।
8. **निर्देशों का अनुपालन.**— अनुसूची में दिए गए किसी स्टेनलेस इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।
9. **सूचना देने की अनिवार्यता.**— कोई भी विनिर्माता अथवा डीलर इस आदेश के उपबंधों की अवहेलना करने के आशय से पैराग्राफ 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा अपने पास अथवा नियंत्रण में रखे किसी बही अथवा दस्तावेज या किसी स्टेनलेस इस्पात उत्पाद को नहीं छुपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको विकृत अथवा उसके स्वरूप को विरूपित नहीं करेगा।

अनुसूची

[पैराग्राफ 2(च) देखें]

भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन वाले इस्पात उत्पादों की सूची

क्र.स.	भारतीय मानक संख्या	शीर्षक	आईटीसी(एचएस)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	आईएस 5522	बर्तनों के लिए स्टेनलेस इस्पात शीट्स और स्ट्रीप्स	72191300 72191400 721923 721924 721932	721933 721934 721935 72199012 72199013	72199090 72201290 72202090 72209090
2.	आईएस 6911	स्टेनलेस स्टील प्लेट, शीट और स्ट्रीप्स- विनिर्देशन	7219	7220	-

3.	आईएस 15997	बर्तनों और रसोई उपकरणों के लिए लो निकल ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप्स- विनिर्देशन	72191300	72192490	72193590
			72191400	72193220	72199012
			72192320	72193290	72199013
			72192390	72193320	72199090
			72192421	72193390	72201290
			72192422	72193420	72202090
			72192423	72193490	72209090
	72192429	72193520			

स्पष्टीकरण 1- इस आदेश के प्रावधान कॉलम (2) में उल्लिखित प्रासंगिक भारतीय मानक संख्या के तहत शामिल अनुसूची के कॉलम (3) के अधीन वर्णित उत्पादों पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 2- कॉलम (4) के तहत उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड्स की प्रकृति जेनेरिक और संकेतात्मक है।

[एफ. सं. 1(7)/2014-टीडब्ल्यू]

सुनील बड़धवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 10th June, 2016

S. O. 2061(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Stainless Steel Products (Quality Control) Order, 2016.
(2) This Order shall come into force after three months from the date of publication in the official Gazette.
2. **Definitions.**— In this Order, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) “appropriate authority” means, -
 - (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry of Steel;
 - (ii) General Managers, District Industries Centers of State Governments;
 - (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union territories; and
 - (iv) an officer nominated by the Director General, Bureau of Indian Standards.

- (c) “dealer”, in relation to stainless steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society which, carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing stainless steel products, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
- (d) “ITC(HS) Codes”, in relation to the Steel and Steel Products, mean the Indian Trades Classification (Harmonised Systems) Codes as specified in the entries in Column (4) of the Schedule:
- (e) “manufacturer”, in relation to stainless steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society which, produces, makes, assembles or manufactures stainless steel products and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society which claims such stainless steel products to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society, as the case may be;
- (f) “Schedule” means the Schedule annexed to this Order;
- (g) “specified standard”, in relation to stainless steel products means the Indian Standard specified in the entries in column (2) of the Schedule;
- (h) “State Government” in relation to a Union territory, means the Administrator thereof;
- (i) “Stainless steel products” mean the items specified in column (3) of the Schedule as covered in the specified Indian Standards in column (2) ;
- (j) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. **Prohibition regarding manufacture, storage, sale, distribution etc.—** (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any stainless steel product specified in the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear Standard Mark of the Bureau of Indian Standards on obtaining certification marks license:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of stainless steel products required for export, which conform to any other specification required by the foreign buyer.

(2) The sub-standard or defective stainless steel products, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap as per the scheme of testing and inspection of the Bureau of Indian Standards.

4. **Obligation for certification.**— (1) All manufacturers of stainless steel products shall make an application to the Bureau of Indian Standards for obtaining the licence and to maintain it thereafter for use of the Standard Mark if not already obtained.
 - (2) The grant of licence by the Bureau of Indian Standards for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made there under.
 - (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture stainless steel products, he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau of Indian Standards for the use of the Standard Mark.
5. **Power to call for information, etc.**— The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order,-
 - (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any stainless steel product to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any stainless steel product for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such stainless steel products;
 - (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other stainless steel products kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any stainless steel product.
6. **Testing of samples.**— Samples of any stainless steel product bearing the Standard Mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether they conform to the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau of Indian Standards and as specified in the relevant Indian Standard.
7. **Power to issue direction to manufactures and dealers.**— The appropriate authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the provisions of this Order.
8. **Compliance of directions.**— Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any stainless steel product specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. **Obligation to furnish information.**— No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under paragraph 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any stainless steel product kept by, or in the possession or control of, such person.

SCHEDULE

[See paragraph 2(f)]

List of steel products under mandatory Bureau of Indian Standards certification

Sl. No.	Indian Standard number	Title	ITC(HS)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	IS 5522	Stainless steel sheets and strips for utensils	72191300 72191400 721923 721924 721932	721933 721934 721935 72199012 72199013	72199090 72201290 72202090 72209090
2.	IS 6911	Stainless Steel Plate, Sheet and Strip - Specification	7219	7220	-
3.	IS 15997	Low Nickel austenitic stainless steel sheet and strip for utensils and kitchen appliances – Specification	72191300 72191400 72192320 72192390 72192421 72192422 72192423 72192429	72192490 72193220 72193290 72193320 72193390 72193420 72193490 72193520	72193590 72199012 72199013 72199090 72201290 72202090 72209090

Explanation1. - The provisions of this Order shall apply to the products described under column (3) of the Schedule covered under relevant Indian Standard number mentioned under column (2).

Explanation2. - The ITC (HS) Codes mentioned under column (4) are generic and indicative in nature.

[F. No. 1(7)/2014-TW]

SUNIL BARTHWAL Jt. Secy.